दक्षिण पूर्व रेलवे

कार्यालय
वरि॰ मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व रेलवे , राँची
दूरभाष सं.: 0651-2788450 (रेलवे)

पत्रांक सं.SER/P-RNC/Rectt./GSU/Retd.Emp./24 दिनांक : 02.01.2024

अधिसूचना 01/2024

विषयः– राँची मंडल, द.पू.रेलवे में गति शक्ति इकाई (GSUs) योजना के अंतर्गत मासिक पारिश्रमिक आधार पर सेवानिवृत रेलवे पर्यवेक्षकों की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव।

संदर्भः–(i) रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2021/डब्ल्यू–I/जनरल/गति शक्ति, दिनांक 27.07.2022

(ii) उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/द॰पू॰रे॰/गार्डेनरीच पत्रांक सं॰SER/P-HQ/Ruling/0/992 दिनांक-18.10.2022

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2021/डब्ल्यू–I/जनरल/गति शक्ति, दिनांक 27.07.2022 के अनुसार राँची मंडल के गति शक्ति इकाई में सेवानिवृत पर्यवेक्षकों की पुनर्नियुक्ति कर निम्नलिखित पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

राँची मंडल के गति शक्ति इकाई हेतु मासिक पारिश्रमिक आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र. सं	विभाग	वर्ग	आवश्यक कर्मचारियों की संख्या	न्यूनतम निर्धारित चिकित्सा मानक
01	इंजीनियरिंग	वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (वर्कस)/ कनिष्ठ इंजीनियर (वर्कस)	01	बी/1
		वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (एस्टीमेट सिविल)/ कनिष्ठ इंजीनियर (एस्टीमेट सिविल)	01	सी/1
		वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (ड्राइंग) सिविल/ कनिष्ठ इंजीनियर (ड्राइंग) सिविल	01	सी/1
02.	संकेत एवं दूरसंचार	वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (संकेत)/ कनिष्ठ इंजीनियर (संकेत)	01	ए/3
		वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (दूरसंचार)/ कनिष्ठ इंजीनियर (दूरसंचार)	01	ए/3
		वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (ड्राइंग एवं डिजाइन) संकेत/ कनिष्ठ इंजीनियर (ड्राइंग एवं डिजाइन) संकेत	01	सी/1
03.	विद्युत	वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (ड्राइंग एवं डिजाइन) टीआरडी/ कनिष्ठ इंजीनियर (ड्राइंग एवं डिजाइन) टीआरडी	01	सी/1
		वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (टी.आर.डी.)/ कनिष्ठ इंजीनियर (टी.आर.डी.)	01	ए/3
		वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (सामान्य)/ कनिष्ठ इंजीनियर (सामान्य)	01	बी/1

कृपया निम्नलिखित नियम एवं शर्तों को नोट करेंः–

1. यह योजना पुनर्नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने या रे.भ.बो /रे.भ.से./विभागीय चयन द्वारा नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक वैध है।
2. प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार योजना को समय–समय पर बढ़ाया जा सकता है।
3. केवल सेवानिवृत रेलवे पर्यवेक्षक ही आवेदन करने के पात्र हैं। और उनकी पुनः नियुक्ति डिप्टी सीपीओ (मुख्यालय)/जीआरसी के पत्र उपरोक्त संदर्भ (ii) दिनांक-18.10.2022 में दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
4. 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। कोई भी पुनर्नियुक्त कर्मचारी 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा में नहीं रह सकता है।
5. डीएआर कार्रवाई के परिणामस्वरूप हटाए गए/बर्खास्त/अनिवार्य सेवानिवृत कर्मचारी या डीएआर समीक्षाधीन कर्मचारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। संरक्षा संबंधी सेवानिवृत योजना (एसआरआरएस/लार्रजेस) के अंतर्गत सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी भी पात्र नहीं हैं।
6. रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 दिनांक:24.10.2019 (पैरा-6) के अनुसार पुनर्नियुक्त पर्यवेक्षक केवल मासिक निश्चित पारिश्रमिक अर्थात सेवानिवृति के समय आहरित अपने अंतिम वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) से पेंशन घटाने के पश्चात प्राप्त राशि के हकदार होंगे। मासिक निश्चित पारिश्रमिक और पूर्ण पेंशन का कुल योग सेवानिवृति के समय लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगी।

क्रमशः.....

सहायक कार्मिक अधिकारी
Asstt. Personnel Officer
द॰ पू॰ रेलवे, राँची
S. E. Railway, Ranchi

South Eastern Railway

Office of the
Sr. Divisional Personnel Officer
South Eastern Railway ,Ranchi
Tele.No.: 0651-2788450(Rly)

Letter No.SER/P-RNC/Rectt./GSU/Retd.Emp./24

Date: 02.01.2024

Notification-01/2024

Sub: Proposal for re-engagement of retired Railway Supervisors on monthly remuneration basis under Gati Shakti Units (GSUs) scheme in Ranchi division/S.E.Railway.

Ref: (i) Railway Board's letter No. 2021/W-I/Genl./Gati Shakti dated 27.07.2022.
(ii) Dy CPO(HQ)/SER/GRC's letter No. SER/P-HQ/Ruling/0/992 dtd. 18.10.2022

In terms of Railway Board's letter No. 2021/W-I/Genl./Gati Shakti dated 27.07.2022,it has been decided to fill up following posts in Gati Shakti Unit on Ranchi Division by re-engagement of retired staff.

Applications are invited from retired Railway Supervisors for the following posts on monthly remuneration basis for the Gati Shakti Unit in Ranchi Division.

Sl. No.	Department	Category	No. of staff required	Minimum Prescribed Medical Standard
1.	Engineering	SSE/JE (Works)	01	B/1
		SSE/JE(Estimate Civil)	01	C/1
		SSE/JE (Drawing)/Civil	01	C/1
2.	S&T	SSE/JE(Signal)	01	A/3
		SSE/JE(Telecommunication)	01	A/3
		SSE/JE (Drawing & Design.)/Signal	01	C/1
3.	Electrical	SSE/JE (Drawing & Design.)/TRD	01	C/1
		SSE/JE((TRD)	01	A/3
		SSE/JE (General)	01	B/1

The following terms and conditions may kindly be noted:-

1. This scheme is valid up to one year from the date of re-engagement or attaining the age of 65 years or joining of regular candidates from RRB/RRC/Departmental selection whichever is earlier.
2. The scheme may be extended time to time as per administrative requirements.
3. Only retired Railway Supervisors are eligible to apply and their re-engagement will be done in accordance with instruction contained in Dy CPO(HQ)/GRC's letter dtd. 18.10.2022 under reference (ii) above.
4. Re-engagement shall not be beyond attaining the age of 65 years. No re-engaged employee should continue in service beyond 65 years of age.
5. The employees Removed/Dismissed/Compulsory retired as a result of DAR action or under review are not eligible for re-engagement. Further employees retired under Safety Related Retirement Scheme(SRRS/LARSGESS) are not eligible.
6. In terms of Railway Board's letter No. E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated: 24.10.2019 (Para-6),the re-engaged retained Supervisors are entitled only for monthly fixed remuneration i.e. reducing pension from his/her last pay drawn (i.e. Basic + DA) at the time of retirement. The monthly fixed remuneration plus full pension shall not exceed the last pay drawn at the time of retirement.

Contd...

सहायक कार्मिक अधिकारी
Asstt. Personnel Officer
द० पू० रेलवे, राँची
S. E. Railway, Ranchi

7. पुनर्नियुक्त रेलवे पर्यवेक्षक कर्मचारी किसी भी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक अवकाश, औसत वेतन अवकाश, अस्वस्थता अवकाश आदि) का पात्र नहीं होगा। किसी प्रकार की अनुपस्थिति, यदि हो तो, उसके लिए मासिक पारिश्रमिक से प्राप्त वेतन/मजदूरी से उचित कटौती की जाएगी।

8. पुनर्नियुक्त कर्मचारी मासिक निश्चित पारिश्रमिक को छोड़कर ऑन रोल रेलवे कर्मचारियों को दिए जाने वाले किसी अन्य लाभ या सुविधाओं के हकदार नहीं हैं।

9. सेवानिवृत कर्मचारी पुनर्नियुक्ति के सभी नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए एक अनुबंध निष्पादित करेगा।

10. पर्यवेक्षकों के चयन हेतु पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगेः–

(i) पुनर्नियुक्ति, संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित चिकित्सा योग्यता के अधीन होगी।
(ii) सेवानिवृत से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों के एपीएआर कम से कम "बहुत अच्छा" होना चाहिए । यदि पिछले तीन वर्षों के एपीएआर उपलब्ध नहीं हैं, तोउससे पिछले तीन वर्षो के एपीएआर पर विचार किया जाएगा।

11. पुनर्नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे की या आवश्यकतानुसार होगी। एक दिन के साप्ताहिक अवकाश के साथ प्रशासन द्वारा कार्यों की आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकता है।

12. चयनित कर्मचारियों को राँची मंडल की इकाई में कही भी तैनात किया जा सकता है।

13. द.पू.रे. स्थापना क्रमांक 227/2018 के अनुसार पर्यवेक्षकों का अनुबंध किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी और जो कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ होंगे या जो प्रशासन की अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन करने में विफल रहेंगे, उनका अनुबंध 30 दिनों का नोटिस देकर समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि, लापरवाही/कदाचार/अनियमितताओं के मामले में पुनर्नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।

14. चयनित उम्मीदवारों द्वारा सुरक्षा और अन्य परिचालन आवश्यकताओं में कर्तव्यों का पालन करते समय पर्याप्त रूप से विचार किया जाएगा।

15. लागू होने पर यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता देय होंगे।

16. रेलवे बोर्ड या मुख्यालय से आगे के निर्देश/दिशानिर्देश प्राप्त होने पर ऐसी नियुक्ति पर बाध्यकारी होंगे ।

17. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की जेरॉक्स प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

i) सेवा प्रमाण पत्र ii) पेंशनभोगी पहचान पत्र iii) पेंशन भुगतान आदेश iv) आधार कार्ड v) पैन कार्ड vi) सेवा समाप्ति कार्यालय आदेश।

18. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02.02.2024 है। समय सीमा समाप्ति के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. आवेदक निम्नलिखित पते पर ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैः–

ऑफलाइन पता	ऑनलाइन पता
भर्ती अनुभाग वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, राँची हटिया –834003 (झारखंड)	ईमेल पता **dpo@rnc.railnet.gov.in**

20 विस्तृत अधिसूचना वेबसाइट **https://ser.indianrailways.gov.in**.पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट में जाकर निम्न प्रक्रिया अपनाएं।

Division > Department > Personnel > Notification of re-engagement of retired employee.

नोटः– वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय), राँची, वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, राँची एवं वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण), राँची से अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन सभी यूनिट प्रभारियों के बीच उपरोक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें। आपके सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/01/2024

(आलोक कुमार राय)
सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व रेलवे/राँची

सहायक कार्मिक अधिकारी
Asstt. Personnel Officer
द० पू० रेलवे, राँची
S. E. Railway, Ranchi

7. Re-engaged Railway Supervisors will not be eligible for any kind of leave like (CL, LAP, Sick Leave etc.).For absence if any, appropriate deduction from salary/wages will be made from the monthly remuneration.
8. The re-engaged employees are not entitled for any other benefit or facilities extended to Railway employees on roll except monthly fixed remuneration.
9. The retired employee shall execute an agreement to abide by all the terms and conditions of the re-engagement.
10. The eligibility criteria for selection of supervisors will be as follows:
    - (i) **Re-engagement shall be subject to prescribed medical fitness for the relevant category.**
    - (ii) **The APARs of Last three years immediate before retirement should at least be "Very Good". If last three years APARs are not available, Previous three years APARs are to be considered.**
11. The duty hours of the re-engaged employees would be 8 hours duty or as required. The duty can be changed as per the requirement of works by the administration with weekly off for one day.
12. Selected staff should be posted anywhere in Unit of Ranchi Division.
13. As per SER Estt. Srl.No. 227/2018 the contract of the supervisors may be terminated by either side by giving one month's notice. The performance monitoring of contractual appointees must be done on regular basis and those who are unable to discharge the duties or who fail to perform as per expectation of the administration, may be given 30 days notice and their contract terminated. However in case of gross negligence/misconduct/irregularities, the engagement may be terminated with immediate effect.
14. While performing the duties in safety and other operational requirements will be adequately considered by the selected candidates.
15. TA/DA is payable as applicable as per RBE No. 24/2017(letter No. F(E)I/2015/AL-28/58 dtd. 16.03.2017).
16. Further instruction/guideline as and when received from Railway Board or HQ will be binding on such appointment.
17. Xerox copy of the following documents should be attached with the application and it is mandatory.
    i)Service certificate ii) Pensioner Identity Card iii) Pension Payment Order iv) Aadhar Card v) Pan Card vi) Termination Office Order.
18. The last date for submission of the application is <u>**02.02.2024**</u>. Any applications received after the deadline will not be accepted.
19. Applicants may apply offline/online in the following address:-

Offline Address	Online Address
Recruitment Section Office of the ,Sr.Divisional Personnel Officer DRM Office,Ranchi Hatia-834003 (Jharkhand)	**(email address): dpo@rnc.railnet.gov.in**

20. Detailed notification is also available on website **<u>https://ser.indianrailways.gov.in</u>.**
    Division > Department > Personnel > Notification of re-engagement of retired employee.

<u>N.B:-</u>Sr.DEN(Co)/RNC,Sr.DSTE/RNC & Sr.DEETRD)/RNC are requested to kindly wide dissemination the above notification amongst all unit in-charge under your kind control. This is for your kind information and necessary action please.

18/01/2024

(Alok Kumar Ray)
Asstt. Personnel Officer/Ranchi
For Sr.Divisional Personnel Officer
South Eastern Railway /Ranchi

सहायक कार्मिक अधिकारी
Asstt. Personnel Office
द० पू० रेलवे, राँची
S. E. Railway, Ranchi

अनुलग्नक–क

राँची मंडल, द.पू.रेलवे में गति शक्ति इकाईयों के अंतर्गत सेवानिवृत रेल पर्यवेक्षकों की पुनर्नियुक्ति का आवदेन

[अधिसूचना सं.. SER/P-RNC/Rectt./GSU/Retd.Emp./24 दिनांक: 0[illegible].01.2024]

सेवा में,

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
दक्षिण पूर्व रेलवे, राँची

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं और आर–पार हस्ताक्षर करें।

मैं एतद् द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित नियम एवं शर्तो पर...................................... के रूप में राँची मंडल, दक्षिण पूर्व रेलवे के .... विभाग में पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

मेरा सेवा विवरण निम्नवत् हैः–

1. नाम..........................
2. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम..
3. मंडल /इकाई /विभाग जहाँ से सेवानिवृत हुए ....
4. जन्म तिथि..
5. सेवानिवृत्ति की तिथि.................................
6. अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/लार्रजेस/या किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति (उल्लेख करें)
7. पत्राचार का पता...
   ....
   ....
8. मोबाइल नं. ....
9. अंतिम आहरित वेतन –वेतन बैंड रू.,लेवल (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) ....
10. पीपीओ नं..
11. संलग्नक (दस्तावेजों की प्रति) :–

i) सेवा प्रमाण पत्र ii) पेंशनभोगी पहचान पत्र iii) पेंशन भुगतान आदेश iv) आधार कार्ड

v) पैन कार्ड vi) सेवा समाप्ति कार्यालय आदेश।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और मिथ्या/गलत पाए जाने पर मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने अधिसूचना में निर्धारित नियमएवं शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए बाध्य हूँ । मैं लार्रजेस के अंतर्गत सेवानिवृत नहीं हुआ हूँ।

स्थान :

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम..............

सहायक कार्मिक अधिकारी
Asstt. Personnel Officer
द० पू रेलवे, राँची
S. E. Railway, Ranchi

Annexure-A

Application for re-engagement of retired Railway Supervisors under Gati Shakti Units in Ranchi Divn./S.E.Railway

[Notification No. SER/P-RNC/Rectt./GSU/Retd.Emp./24 dated: 0 .01.2024]

To
The Divisional Railway Manager (P)
South Eastern Railway
Ranchi

Affix recent passport size colour photograph with signature across the photo.

I hereby apply for re-engagement as ....in ....department of Ranchi Division/South Eastern Railway on term and conditions as mentioned in the notification.
My service particulars are as below:-

1. Name..
2. Designation at the time of retirement...
3. Division/Unit/Department from where retired..
4. Date of Birth...
5. Date of retirement...
6. Retirement on Superannuation/VRS/LARSGESS/or any other retirement (Specify)..................
7. Address for Correspondence...
....
....
8. Mobile No...
9. Last Pay Drawn-Pay Band Rs. Level (as per 7th CPC)...
10. PPO No...
11. Enclosure (Copy of Documents):-
i)Service certificate ii) Pensioner Identity Card iii) Pension Payment Order iv) Aadhar Card v) Pan Card vi) Termination Office Order.

I declare that the information furnished above is true to the best of my knowledge and I am liable for punitive action if found false/incorrect. I also declare that I have gone through the terms and conditions stipulated in the notification and I shall abide by them. I have not retired under LARSGESS.

Place:

Signature of the applicant.

Date: